पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र /कारण बताओ नोटिस

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग, सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



Covernment of India

Ainistry of Mines

Aisavian Bureau of Mines

Office of Regional Controller of Mines rmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई —मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्याः गुज/जूना/चू.प- 94 Mine code 38GUJ08346

ID

दिनांक: 17.01.2023

सेवा में : . मै. आर.जे.त्रिवेदी एंड कंपनी चोरवाड़ स्टेशन रोड के सामने शेरबाग, गड्डु, तालुका- मालिया हटीना जिला – जूनागढ़ 362 265 (गुजरात) e mail – shivam_mining@yahoo.in

विषयः गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले की सूत्रापाडा तालुका में निकट ग्राम जानुदा, शांतिपुरा स्थित आपकी जानुदा-शांतिपुरा चूनापत्थर खान, क्षेत्रफल- 41.00 है. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का रिव्यू खनन योजना निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 13.10.2022 को आपके प्रतिनिधि श्री देवायत वाला की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

2017 के निम्नालाखत नियमा का उल्लंधन पाया गया-		
	नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11	1(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-241(171)/2019-20MDRD(N)GNR दिनांक
		04.10.2019 के द्वारा अनुमोदित संशोधित खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए
		खनन कार्य किया जा रहा है-
		(१) अनुमोदित खनन योजना के बिन्दु संख्या 8.3.5, पृष्ठ संख्या- 66 पर दी गई सारणी के अनुसार वर्ष
		2021-22 में खान के पर्यावरण सुधार हेतु लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए 1370 मी. Fencing
		लगाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि 800 मी. Fencing ही लगाई गई है।
45	(5)(c)	वर्ष 2021-22 के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी की संवीक्षा में निम्न कमी पाई गई है –
r	ead	(१) पार्ट – III के मद संख्या 2 के बिन्दु संख्या 3 में Compensation paid for felling trees during
٧	vith	the year में ₹ 50000 दर्शाए गए हैं, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि पेड़ों की कटाई नहीं की गई
4.	5(7)	है।
٠.	2	

2. In this connection, it is brought to your kind notice that the above violations constitute an offence punishable under Rule 62 of MCDR 2017.

62/2023

3. Mining operations can be suspended as per rule 11(2) in case of non-compliance of above and other relevant rules of MCDR 2017 as these above rules also affect the compliance of rule 11(1) i.e. Systematic scientific and responsible mining and/or state Government may be informed to take appropriate actions as per competent directives.

4. You are also liable to pay an amount of Rs.10000/-per day for such days as per Schedule-

II, read with Rule 45(7A) in case of non-compliance of various provisions of Rule 45.

5. As per provision of Rule 45(7) and/or 45(7A)(ii) the Regional Controller of Mines may take appropriate action including order of suspension of all mining operations and dispatches on non-compliance of various provisions of Rule 45.

6. In context to the violations of Rule 45, this letter has been considered as **show cause notice** where you are advised to rectify above violation immediately. You are therefore directed to show cause within a period of **30 days** from the date of issue of this letter as to why the action under Rule **45(7)** and/or **45(7A)** shall not be taken against you. No further notice will be given to you in this regard.

7. You are advised to rectify the above violation immediately and intimate the compliance position to this office, within 30 days from date of issue of this letter in case of rule of 45 and

within 45 days for other violated rule from date of issue of this letter.

8. This letter has been issued with the approval of Regional Controller of Mines.

भवदीय

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नही) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

२. खनिज सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर mms@ibm.gov.in को सूचनार्थ तथा Refer back करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

३. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधी को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए लेख है कि निरीक्षण के समय आंशिक सीमा स्तंभ ही पाये गए।

४. रक्षित पत्रावली।

W. 5.c.

सहायक खान नियंत्रक

कि. ⁹भारतीय खान ब्यूरो